

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 12/2020

दायर दिनांक: 02.11.2020

निर्णय दिनांक 05.04.2021

—:अनवान:—

श्री भैरूलाल पिता रामलाल जाट आयु वयस्क निवासी घोसुण्डी तहसील आमेट  
जिला राजसमन्द

—:अपीलांट

—:बनाम:—

1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्री रोशनलाल पिता मांगीलाल जाट आयु वयस्क निवासी घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजसमन्द

—:रेस्पोण्डेंटगण

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ तहसील आमेट  
जिला राजसमन्द के प्रकरण संख्या 01/2020 सरकार बनाम रोशनलाल, निर्णय  
दिनांक 23.06.2020 से व्यथित होकर

उपस्थित:—

- 1— श्री परशराम वैष्णव, अधिवक्ता अपीलांट
- 2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या, राजकीय अधिवक्ता
- 3— रेस्पोडेन्ट सं. 02 अनुपस्थित

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम घोसुण्डी तहसील आमेट में प्रार्थी के स्वामित्व/आधिपत्य की कृषि भूमि आ०नं० 160 स्थित हैं। उक्त भूमि के पास बिलानाम सरकारी भूमि स्थित हैं, जिस पर विपक्षीगण आसू पिता खेमा जाट, लोबचन्द पिता गोकल जाट, छगन पिता अम्बालाल जाट, रूपा पिता देवा जाट, रोशन पिता मांगीलाल जाट लेहरू पिता किशोर जाट, हरदेव पिता शंकर जाट निवासीयान घोसुण्डी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर सरकारी भूमि आ.सं. 161 पर अवैध अतिक्रमण कर मेरे स्वामित्व की भूमि पर जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर रखा हैं, पूर्व में भी मेरे द्वारा मना करने पर मेरे साथ मारपीट की गयी हैं, विपक्षीगण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से रोकना चाहते हैं, अतिक्रमण से रास्ता अवरुद्ध है इत्यादि का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें बिना प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिये बगैर अवैध तरीके से उक्त आदेश निर्णित कर दिया गया, जो विधि विपरीत होकर अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्य एकत्रित किये गये, नही अपीलाण्ट के गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये है, न ही पटवारी की रिपोर्ट तलब की गयी हैं, यदि

1

उक्त रिपोर्ट तलब की जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती एवं अतिक्रमियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से एवं अतिक्रमियों को लाभ पहुँचाने की नियत से उक्त अवैध व विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतः विपरित हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व रेस्पोंडेंट सं. 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित तथा रेस्पोंडेंट सं. 02 अनुपस्थित।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलांत के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि ग्राम घोसुण्डी तहसील आमेत में प्रार्थी के स्वामित्व/आधिपत्य की कृषि भूमि आ.सं. 160 स्थित है। उक्त भूमि के पास बिलानाम सरकारी भूमि स्थित है, जिस पर विपक्षीगण आसू पिता खेमा जाट, लोबचन्द पिता गोकल जाट, छगन पिता अम्बालाल जाट, रूपा पिता देवा जाट, रोशन पिता मांगीलाल जाट लेहरू पिता किशोर जाट, हरदेव पिता शंकर जाट निवासीयान घोसुण्डी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर सरकारी भूमि आ.सं. 161 पर अवैध अतिक्रमण कर मेरे स्वामित्व की भूमि पर जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है, पूर्व में भी मेरे द्वारा मना करने पर मेरे साथ मारपीट की गयी है, विपक्षीगण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से रोकना चाहते हैं, अतिक्रमण से रास्ता अवरुद्ध है इत्यादि का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें बिना प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिये बगैर अवैध तरीके से उक्त आदेश निर्णित कर दिया गया, जो विधि विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्य एकत्रित किये गये, न ही अपीलाण्ट के गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये हैं, न ही पटवारी की रिपोर्ट तलब की गयी है, यदि उक्त रिपोर्ट तलब की जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती एवं अतिक्रमियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से एवं अतिक्रमियों को लाभ पहुँचाने की नियत से उक्त अवैध व विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतः विपरित हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो साक्ष्य एकत्रित किये गये, न ही अपीलाण्ट के गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये हैं, न ही पटवारी की रिपोर्ट तलब की गयी और अपीलांत को अपना पक्ष रखने का भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवसर नहीं दिया है। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूँ।



M

::आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2020 को खारिज किया जाता हैं। प्रकरण उप तहसीलदार, सरदारगढ को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांत को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

M

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

M

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

